प्रपत्र-2

(देखें नियम-6 उप नियम-(1)

रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व-घोषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्राम:- थाना नंबर:-..... हल्का नंबर:-

पुलिस थाना:- अंचल:- जिला:-

रैयत का नाम (सह-हिस्सेदार का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा						जमाबंदी सं०	भूमि पर दावा का आधार यथा-उत्तराधिकारी/दान क्रय/बंदोबस्त/अन्य	अभियुक्ति अगर कोई हो
		खाता	खेसरा	रकवा ए ० डी ०	चौहदी	किस्म जमीन	सेस को छोड़कर लगान			
					ऊ० :- द० :- प० :- प० :-					
					ऊ० :- द० :- प० :- प० :-					
					ऊ० :- द० :- प० :- प० :-					
					ऊ० :- द० :- प० :- प० :-					

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि स्व-घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/हमारी जानकारी में सही है। स्व-घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेही हूँ/हैं।

नोट:- इस प्रपत्र को दो प्रतियो में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्त्ता पदा०/कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण रूप में लौटाया जायेगा।

स्थान :- आधार सं:- रैयत का हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान

दिनांक :-

मोबाईल नं० :-